



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./

1239

बिलासपुर, दिनांक24/05/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non- forest Purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of forest land for Widening of Existing Road From Bakaruma- Lailunga Road area 3.843ha.

पंजीयन क्रमांक :-FP/CG/Road/36751/2018

- संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एल.-115 - 780/1316 दिनांक 04.07.2020, पत्र क्र./भू-प्रबंध/ खनिज/ 331-2691 दिनांक 27.10.2021 एवं पत्र क्र./भू-प्रबंध/ खनिज/115-780 दिनांक 30.03.2022
2. वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ का पत्र क्रमांक /माचि./686, दिनांक 19.05.2022

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, बाकारुमा से लैलुंगा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3.843 हे. वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग हेतु परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में चेक लिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) रकबा 3.843 हे. हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संलग्न है।	1-2
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड संलग्न है।	3-10
3	वन क्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि का विवरण संलग्न है।	11-12
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित गैर वन क्षेत्र रकबा 13.013 हे. प्रभावित है।	13-14

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपाशीट 1:50000 स्केल पर	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 संलग्न है ।	15-19
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र का स्टॉक मैप संलग्न है ।	20-33
7	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र हेतु प्रपत्र 4 में प्रस्ताव तैयार कर संलग्न है ।	34-39
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है ।	40-43
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खाते का विवरण संलग्न है ।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.843 हे. हेतु दुगुने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है संलग्न है ।	44-45
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र	प्रकरण में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न है ।	46-47
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है ।	प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यकता नहीं होने का अधिसूचना संलग्न है ।	48-67
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब से)	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र रकबा 3.843 हे. में प्रभावित वृक्षों की गणना पत्रक कर (प्रपत्र - अ एवं ब) विवरण संलग्न है ।	68-86

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र हेतु काष्ठ बेनिफिट एनालिसिस आवश्यकता नहीं होने संबंधी भारत सरकार के दिशा निर्देश की छाया प्रति संलग्न है।	87-94
14	— चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातरण आदेश) — राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	चयनित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र बाकारूमा परिक्षेत्र अन्तर्गत नारंगी वनखण्ड खसरा नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. प्रस्तावित होने के कारण आवश्यक नहीं है।	95-96
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	आवश्यक नहीं है।	97-98
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ वर्षीयमय उपचार मानचित्र आक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.483 हे. के बदले बाकारूमा परिक्षेत्र अन्तर्गत नारंगी वनखण्ड खसरा नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	99-133
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	134-136
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	137-138
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	139-140
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	141-142
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बाकारूमा परिक्षेत्र अन्तर्गत नारंगी वनखण्ड खसरा नं. 136/1क, 155/1, 177/1क, 186/1 रकबा 7.70 हे. प्रस्तावित किया गया है।	143-146
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	आवश्यक नहीं है। संलग्न है।	147-148
23	रिक्लेमेशन प्लान	आवश्यकता नहीं है। संलग्न है।	149-150

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	आवश्यकता नहीं है। संलग्न है।	151-152
25	व्यवस्थापन प्लान	आवेदक संस्थान अनुसार प्रकरण में व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	153-154
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I में IV तक)प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	प्रकरण में वन मण्डलाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय अनुशंसा सहित संलग्न है।	155-162
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	प्रकरण में ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	163-164
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से संबंधित ग्रामों के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	165-176
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	संलग्न है।	177-178
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	संलग्न है।	179-180
31	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	संलग्न है।	181-182
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वनविभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर की जानकारी संलग्न है।	183
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित सीलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	प्रकरण में 15 कि.मी. परिधि के नक्शों की आवश्यकता नहीं है।	184-185

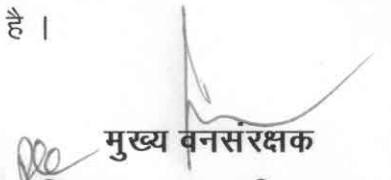
क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ एफ.नम्बर – 1-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।	प्रकरण में आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर रायगढ़ से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	186-190
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र./1317 दिनांक 25.05.2007)	प्रकरण में प्रभावित हो रहे राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं है। आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।	191-192
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया है संलग्न है।	193-194
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of Funds with the Ad-hoc CAMPA : Remittances to Precede 2 nd stage Clearance (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 date 12.05.2011.	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा प्रकरण में जमा किये जाने वाली समस्त राशि कैम्पा मद में जमा किये जाने का वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।	195-196
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it ".(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6. MPC 013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010	आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	197-198

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक Fno.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा उक्त परियोजना में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है संलग्न है।	199-200
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non. Forestry purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - Stipulation of additional Condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक Fno. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01. 2011)	आवश्यकता नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	201-202
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ- 7- 22/ 2009/ 10-2 दिनांक 31.07.2009	संलग्न है।	203-206
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा खनन प्रकरण नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया है।	207-208
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीनविकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)	आवश्यक नहीं है।	209-210

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण –	प्रकरण में प्रभावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।	211–212
45	आवेदित वनक्षेत्र के डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रतिवेदन की वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति डी.जी.पी.एस. की के.एम. एल. फाईल सहित साफ्ट प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।	संलग्न है।	213–233

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव वेब पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाकर प्रस्ताव निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार तैयार कर 03 प्रतियों में आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :—उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 3 प्रतियों में।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./2022/ 1240

/बिलासपुर, दिनांक 24/05/2022.

प्रतिलिपि :—

- (1) वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- (2) परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा लैलूंगा से बाकारूमा मार्ग के उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु 3.483 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित संरक्षित वनभूमि 3.483 हे. का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 24.05.2022

(राजेश कुमार चंदेलै) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर